

प्रेषक,

जे0एन0 चैम्बर,
प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह(पुलिस) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 16 जून, 2007

विषय:- विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) का गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कानून का राज स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि न केवल छोटे अपराधी बल्कि बड़े, असरदार एवं विभिन्न पदों पर आसीन ऐसे व्यक्ति एवं लोक सेवक जो अपनी पहुँच एवं पद का दुरुपयोग करके गंभीर आर्थिक अपराध करते हैं, को भी कानून के दायरे में लाया जाये। बदलती परिस्थितियों में प्रदेश में उत्तम श्रेणी के एक अन्तर्विषयक (Multi-Disciplinary) अनुसंधान दल की आवश्यकता है जो प्रभावशाली व्यक्तियों एवं लोक सेवकों द्वारा कारित जटिल एवं गंभीर मामलों की जाँच एवं विवेचना कर सके। इस पृष्ठभूमि में शासन द्वारा एक सर्वसम्पन्न एवं उच्च कार्यक्षमता वाले विशेष अनुसंधान दल (Special Investigation Team), संक्षिप्त नाम एस.आई.टी., की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

2- एस.आई.टी. का कार्यक्षेत्र:- गृह विभाग द्वारा संदर्भित मामलों की जाँच एवं विवेचना के लिए एस.आई.टी. का गठन एक स्वतंत्र जाँच एवं विवेचना एजेन्सी के रूप में किया जा रहा है। यहाँ जाँच से अभिप्राय प्रारम्भिक जाँच से है। एस.आई.टी. को जाँचें संदर्भित करने का अधिकार गृह विभाग को होगा और गृह विभाग स्वतः अथवा अन्य विभागों के प्रशासनिक विभागाध्यक्षों द्वारा संदर्भित प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जाँच/विवेचना के प्रकरण एस.आई.टी. को संदर्भित करेगा।

2.1 एस.आई.टी. को केवल ऐसे प्रकरण संदर्भित किये जायेंगे जिनमें राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे विभिन्न विभाग/संगठन/संस्थाओं/निगमों/अधिकरणों आदि में लोक सेवकों द्वारा अथवा लोक सेवकों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ सांठ-गांठ कर राज्य सरकार/राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग/संगठनों/संस्थाओं/निगमों/अधिकरणों आदि को गंभीर राजस्व/वित्तीय हानि पहुँचायी गयी हो। इसके अतिरिक्त

लोक-व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुँचाने वाले प्रकरणों में गृह विभाग द्वारा अपवाद स्वरूप मामले एस.आई.टी. को संदर्भित किये जा सकेंगे।

2.2 एस.आई.टी. का कार्य न केवल विवेचना करना बल्कि विवेचनोपरान्त न्यायालय में अभियोजन कार्य अपनी देख-रेख में करना तथा जहाँ विभागीय कार्यवाही की अनुसंशा की जाती है वहाँ पर विभागीय कार्यवाही में संबंधित विभाग से अनुश्रवण करना भी होगा। स्पष्ट किया जाता है कि एस.आई.टी. द्वारा प्रारम्भिक जॉच के पश्चात् लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति/अनुश्रवण किया जा सकेगा। एस.आई.टी. द्वारा विवेचनोपरान्त भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-173 के तहत न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने के अतिरिक्त लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति/अनुश्रवण भी किया जा सकेगा।

2.3 चूँकि एस.आई.टी. द्वारा ऐसे मामलों में विवेचना की जायेगी जिसमें लिप्त व्यक्ति असरदार होंगे और कानून की पेचीदगी का लाभ उठाकर अपने आपको न्यायालय के माध्यम से बचाना चाहेंगे, अतः उपयुक्त प्रकरणों में एस.आई.टी. द्वारा विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) की नियुक्ति के लिए गृह विभाग से अनुरोध करने की स्वतंत्रता होगी।

2.4 गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. तथा संबंधित विभाग, जहाँ की प्रारम्भिक जॉच/विवेचना की गयी है, के विभागाध्यक्ष (यदि विभागाध्यक्ष के लिप्त होने की आशंका हो तो प्रशासनिक विभागाध्यक्ष) होंगे। एस.आई.टी. द्वारा प्रारम्भिक जॉच अथवा विवेचना के उपरान्त आख्या/निष्कर्ष गृह विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। यह समिति एस.आई.टी. की आख्या पर विचारोपरांत प्राथमिकी दर्ज करने, विवेचनोपरान्त न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने, दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने- लघु/दीर्घ दण्ड की संस्तुति आदि कर सकेगी। किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित होने की दशा में समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

3-एस.आई.टी. का प्रशासनिक ढाँचा:- एस.आई.टी. का मुख्यालय लखनऊ में होगा एवं अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी उसके प्रमुख होंगे। उनके अधीन एक आई.जी./डी.आई.जी. एवं कार्य की अधिकता को देखते हुए 02 या उससे अधिक पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये जायेंगे। पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. द्वारा उपलब्ध कार्यबल में से एस.आई.टी. में 04 पुलिस उपाधीक्षक एवं 10 निरीक्षक तथा 06 उप निरीक्षक एवं 30 कांस्टेबल नियुक्त किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 06 आशुलिपिक, 02 उप निरीक्षक(एम) तथा 04 सहायक उप निरीक्षक(एम) की नियुक्ति की जायेगी। चतुर्थ श्रेणी के 10 पद भी उपलब्ध कराये जायेंगे। कालान्तर में उपरोक्त सभी पदों के सृजन की स्वीकृति लेकर नियुक्ति/पदोन्नति की व्यवस्था पुलिस मुख्यालय द्वारा की जायेगी। एस.आई.टी. को विधिक राय देने एवं अभियोजन हेतु एक वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, एक अभियोजन अधिकारी तथा एक सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति गृह विभाग द्वारा की जायेगी।

3.1 एस.आई.टी. में चूँकि विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों की जॉच/विवेचना की जायेगी, अतः एस.आई.टी. प्रमुख को गृह विभाग के माध्यम से ऐसे तकनीकी/विषयक

जानकारी रखने वाले अधिकारी/ कर्मचारी को अपने साथ आवश्यकतानुसार वांछित अवधि के लिए सम्बद्ध करने का अधिकार होगा एवं एस.आई.टी. द्वारा किये गये इस प्रकार के निवेदन को संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रत्येक दशा में स्वीकार करना होगा। इस प्रकार उपलब्ध कराये जाने वाले विशेषज्ञ अधिकारियों का एक पैनल, जिसमें 05 अधिकारी होंगे, विभाग द्वारा एस.आई.टी. प्रमुख को अविलम्ब भेजा जायेगा। उस पैनल में से अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनने के लिए एस.आई.टी. प्रमुख स्वतंत्र होंगे।

3.2 संबंधित विभाग जिसके प्रकरण की जाँच अथवा विवेचना एस.आई.टी. द्वारा की जा रही है वह एस.आई.टी. को आवश्यक आधारभूत सहयोग (Logistical support) उपलब्ध करायेगा।

3.3 विवेचना/जाँच में आने वाली जटिलता को देखते हुए आवश्यकतानुसार एस.आई.टी. द्वारा निजी क्षेत्र से उपयुक्त वित्तीय पैकेज के आधार पर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, कम्पनी सेक्रेटरी, फाइनेन्शियल एनालिस्ट, वैल्यूवर्स (Valuers) एवं कम्प्यूटर विशेषज्ञों एवं अन्य विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जा सकेंगी। इसके लिए उन्हें गृह विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

3.4 एस.आई.टी. प्रमुख को कार्यालय के आन्तरिक नियम एवं कार्यप्रणाली तय करने के लिए अधिकार प्राप्त होगा। परन्तु गृह विभाग द्वारा जाँच/विवेचना के लिए निर्धारित समय-सीमा का आदर करना होगा।

4-एस.आई.टी. का विशेषाधिकार:- एस.आई.टी. द्वारा अपने कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार वांछित अभिलेख संबंधित विभाग/संगठन/संस्था/निगम/अधिकरण आदि द्वारा युक्तियुक्त समय सीमा में उपलब्ध कराये जायेंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे।

5-साज-सज्जा:- एस.आई.टी. के कार्यालय हेतु उपयुक्त स्थान, वाहन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी। इस प्रयोजन पर होने वाल व्यय पुलिस आधुनिकीकरण योजना से वहन किया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करके धनराशि आवंटित करने की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

6-बजट:- एस.आई.टी. के अनावर्तक व्यय व आवर्तक व्यय को गृह (पुलिस) विभाग की अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा। पुलिस महानिदेशक आवश्यकतानुसार इस दल को धनराशि अवमुक्त करेंगे।

7-विशेष न्यायालयों का गठन- एस.आई.टी. द्वारा विवेचित किये गये आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किये गये अपराधों की सुनवाई हेतु अलग-अलग विशेष न्यायालयों के सृजन के सम्बन्ध में अलग से विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

8-विविध:- एस.आई.टी. कार्यालय को पुलिस थाने के रूप में अधिसूचित करने के लिए गृह विभाग के स्तर से कार्यवाही की जायेगी। इस पुलिस थाने का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

8.1 एस.आई.टी. के सभी निरीक्षक एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को थाना प्रभारी के रूप में अधिसूचित किया जायेगा जिससे कि वे स्वतंत्र रहकर अपने अधीन किसी पुलिस

अधिकारी/कर्मचारी को किसी प्रकरण की विवेचना के संबंध में जानकारी अथवा साक्ष्य एकत्रित करने हेतु निर्देशित कर सकेंगे। एस.आई.टी. के निरीक्षकों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1973 के तहत विवेचना का अधिकार देने हेतु अधिसूचना गृह विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

8.2 एस.आई.टी. प्रमुख को विभागाध्यक्ष का स्तर प्राप्त होगा जिसके लिए शासन द्वारा अधिसूचना जारी की जायेगी।

8.3 एस.आई.टी. में कार्य कर रहे विवेचकों को मूल वेतन के 25 प्रतिशत तथा एस.पी. एवं उसके ऊपर के अधिकारियों को 15 प्रतिशत विशेष भत्ता देय होगा।

भवदीय,

जे0एन0 चैम्बर
प्रमुख सचिव

संख्या:-1351(1)/छ:-पु0-3-2007, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, लखनऊ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस महानिरीक्षक जोन/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,



(डा0 हरिओम)
विशेष सचिव